(17)

PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा/2017/1568

मान. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी

1. नारू पिता मोहम्मद खां
2. नासिर पिता मोहम्मद खां

दोनों निवासीगण ग्राम चचोर तहसील मनासा
जिला नीमच म.प्र. –– आवेदकण

विरूद्ध

लाल मोहम्मदपिता खाजू
निवासी ग्राम चचोर तहसील मनासा
जिला नीमच म.प्र. –– अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 02.6.17 को प्रस्तुत
for ... 3-6-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.
अधी. न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 625/अ/14–15 आदेश दि. 16–05–2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी मनासा के प्र.क्र. 24/अपील/11–12 आदेश दिनांक 10–06–2015 तथा अतिरिक्त तहसीलदार रामपुरा के प्र.क्र. 53/अ–6/77–78 के आदेश दिनांक 07–04–1978 के विरूद्ध अंदर अवधि प्रस्तुत है।

(8) ... 02/06/17

माननीय महोदय,

आवेदक/प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है –

1. यह कि, अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश बिना किसी उचित एवं वैध आधार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझे बगैर अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/1568

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 625/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि माननीय न्यायालय वर्ग-2 मनासा के प्रकरण क्र. 64ए/76 में ग्राम चचोर के खाता क्र. 243 व 244 का अनावेदक को संयुक्त भूमिस्वामी माना जाकर स्वत्व घोषणा की गई है। उक्त आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 07.04.78 से ग्राम चचोर की भूमि सर्वे नं. 33, 165, 564, 570, 572, 1169, 1176 रकवा 6.438 पर अनावेदक का नाम मोहम्मद पिता खाजू खां के साथ दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 10.06.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 16.05.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुंख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है इस	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कारण उनके अवैध आदेश को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की जबकि विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-5 अवधि विधान के आवेदन के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत कर विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है जिसे मानकर ही प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील स्वीकार की इस बिन्दु पर विचार किए बगैर आदेश पारित करने की त्रुटि की है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 जो कि सिविल न्यायालय की डिक्री को निरस्त नहीं कर सकता है ऐसे उक्त आदेश को माननीय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 को निरस्त किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सिविल न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री/जयपत्र के आधार पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 07.04.1978 को लालमोहम्मद का नाम चढ़ाने का आदेश दिया गया, क्योंकि सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होती है ऐसे में राजस्व न्यायालय के द्वारा उक्त डिक्री का पालन किया गया। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना विज्ञप्ति के प्रकाशन किए हितबद्ध व्यक्तियों को बिना सुनवाई का अवसर दिए तथा नामांतरण नियम 27 का पालन किए बिना आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त ने केवल व्यवहार	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/1568

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है, परंतु तहसील न्यायालय की अवैधानिक कार्यवाही के संबंध में कोई निष्कर्ष अपने आदेश में नहीं दिया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा सिविल न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए विधिवत आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाए। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए तथा व्यवहार न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित करें। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	